

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

राजेश भारती, मा०प्र०से०
श्रमायुक्त, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
अररिया एवं पूर्णियाँ।

पटना, दिनांक-

विषय:- विमुक्त बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-12 जून 2016 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री ने बाल श्रम से विमुक्त कराये गये एवं CLTS में दर्ज बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से रू० 25,000 प्रति विमुक्त बाल श्रमिक उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, जिसके आलोक में मुख्यमंत्री राहत कोष से पंचम किस्त की राशि प्राप्त हो चुकी है। उक्त राशि प्रत्येक विमुक्त बाल श्रमिक के नाम से उनके 18 वर्ष की उम्र प्राप्त होने तक Fixed Deposit (FD)/Annuity Scheme में निवेशित की जायेगी, जिससे प्राप्त सूद/ब्याज की राशि प्रति माह उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी, जिसका वे आवश्यकतानुसार सदुपयोग कर सकेंगे। FD की अवधि इस तरह से रखना है कि अधिकतम लाभ मिले एवं 18 वर्ष की उम्र तक Auto renewal होती रहे। 18 वर्ष की उम्र पूर्ण करने के उपरांत पूरी राशि बाल श्रमिक को प्राप्त हो सकेगी।

क्र० सं०	जिला	Child ID No.	बाल श्रमिक का नाम	विमुक्ति की तिथि	अभियोजन / एफ०आई०आर०
1	अररिया	BIH_ARARI_2023_108873	मो० हजरत अंसारी	12.06.2023	591/2023
2		BIH_ARARI_2023_109155	मो० अकिल अंसारी	10.10.2023	943/2023
3		BIH_ARARI_2023_109276	मासूम	22.11.2023	1119/2023
4		BIH_ARARI_2023_109277	मो० अरमान	22.11.2023	1119/2023
5		BIH_ARARI_2023_109417	मो० साहिल	06.12.2023	1078/2023
6		BIH_ARARI_2024_109940	राज कुमार	29.05.2024	305/2024
7		BIH_ARARI_2024_109963	मो० सलमान	08.06.2024	379/2024
8		BIH_ARARI_2024_110011	मो० रहमत	15.06.2024	210/2024
9		BIH_ARARI_2024_110316	आयुष कुमार	26.07.2024	405/2024
10		BIH_ARARI_2024_111142	मो० शजाद	24.12.2024	152/2024
11		BIH_ARARI_2024_110137	नीरज कुमार	29.06.2024	419/2024

12	अररिया	BIH_ARARI_2025_111152	बादल बहरदार	27.03.2025	27/2025
13		BIH_ARARI_2025_111153	मो० रयान	27.03.2025	27/2025
1	पूर्णिया	BIH_PURNI_2024_109984	प्रिंस कुमार	15.06.2024	229/24
2		BIH_PURNI_2024_110238	सनोज कुमार	31.07.2024	226/24
3		BIH_PURNI_2024_110542	मो० राहिल	26.10.2024	400/24
4		BIH_PURNI_2024_110543	असरूल	28.10.2024	400/24
5		BIH_PURNI_2024_110622	मो० इंतसार	19.11.2024	360/2024
6		BIH_PURNI_2024_110621	शहजाद आलम	19.11.2024	360/2024
7		BIH_PURNI_2024_110787	साकिब आलम	21.12.2024	363/24

उपर्युक्त विवरणी के आलोक में विमुक्त बाल श्रमिकों हेतु मुख्यमंत्री रात कोष से @25,000/- प्रति बाल श्रमिक के दर से जिलावार निम्न प्रकार से भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिला	खाताधारी का पदनाम	खाता संख्या	IFSC कोड	बाल श्रमिकों की संख्या	बाल श्रमिकों की सं० एवं अनुमान्य राशि	राशि रुपये में	जिलाधिकारी/ श्रम अधीक्षक द्वारा प्रेषित अध्याचना का विवरण।
अररिया	जिला पदाधिकारी, अररिया	36339811 146	SBIN000 0009	13	13@25000	3,25,000	पत्रांक-421 दिनांक-05.06.2025
पूर्णियाँ	जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ	36458436 620	SBIN000 0159	07	07@25000	1,75,000	पत्रांक-726 दिनांक-07.04.2025
कुल				20	20@25000	5.00,000/-	(पाँच लाख)

अतः अनुरोध है कि उपलब्ध करायी जा रही राशि से सत्यापित, अध्याचित एवं CLTS Software में दर्ज पात्र बाल श्रमिक को ही लाभ दिया जाय एवं लाभ देने के उपरांत साक्ष्य सहित प्रतिवेदन विभाग को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

राशि के उपयोग के उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की भी कृपा की जाय। भुगतान करने के पूर्व अच्छी तरह से जाँच कर लिया जाय कि विमुक्त बाल श्रमिकों को पूर्व में राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(राजेश भारती)
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक:-01/सी०एल०-10-20/2025, श्र०सं०.....

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:-श्रम अधीक्षक, अररिया एवं पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि विमुक्त बाल श्रमिकों को यथाशीघ्र राशि उनके खाते में अंतरित कराना सुनिश्चित करें साथ ही इस कार्य में जिला पदाधिकारी को अपना पूर्ण सहयोग दें।

ह०/-

श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक:-01/सी०एल०-10-20/2025, श्र०सं०..... 3555

पटना, दिनांक

20/06/2025

प्रतिलिपि:-आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

4.12.25

श्रमायुक्त, बिहार